

खबर संक्षेप

1.50 लाख की अवैध शराब जब्त, नामी ब्रांड्स के साथ तस्क़र गिरफ़्तार

शहडोल। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे कड़े अभियान के तहत देवलौंद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर को सटीक सूचना पर ग्राम जनकपुर-बुढ़वा में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस की इस घेराबंदी में आरोपी रामबहोर बैस पिता लक्ष्मण प्रसाद बैस, उम्र 38 वर्ष, निवासी जनकपुर बुढ़वा को रंगे हाथों दबोचा गया। आरोपी के कब्जे से विभिन्न नामी ब्रांड्स की कुल 135 लीटर अवैध अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की गई है। जन्त खेप में ऑफिसर्स चॉइस, इम्पीरियल ब्लू, मैकडॉवेल्स, 8 पीएम व्हिस्की और शासकीय प्लेन मदिरा शामिल है। इस अवैध खेप की कुल अनुमानित कीमत करीब 1,50,000 रुपये आंकी गई है। देवलौंद पुलिस ने पूरी मदिरा को विधिवत जन्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की कड़क धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध शराब माफियाओं में हड़क़ंप मच गया है। इस कामयाबी में उपनिरीक्षक दिलीप सिंह, सहायक उपनिरीक्षक इन्द्रलाल पुरी, प्रधान आरक्षक दिनेश शुक्ला, आरक्षक चित्रांशु शुक्ला, ओमप्रसाद तिवारी और महिला आरक्षक कंचन सिंह की भूमिका रही।

नाबालिग से दुष्कर्म का मुख्य आरोपी और महिला मददगार गिरफ्तार

शहडोल। मासूम बच्चियों पर बुरी नजर डालने वाले और उन्हें हवस का शिकार बनाने वाले दरिद्रों के खिलाफ बुढ़ार पुलिस ने एक और बड़ी और कड़क कार्रवाई की है। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी राहुल नायक सहित उसकी एक महिला मददगार को पुलिस ने दबोचकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मामला अप्रैल महीने का है, जब एक 15 वर्षीय नाबालिग अचानक लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर बुढ़ार पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पीड़िता को पहले ही सकुशल दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन अरस्ली सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने अपने बयानों में आपबीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी राहुल नायक उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और उसने उसके साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की सख्त धाराओं 137(2), 86, 87, 124(2)(4), 64(एम) और 3(5) का इजाफा किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने जाल बिछाया और मुख्य आरोपी राहुल नायक पिता लखन नायक, निवासी रायपुर, छत्तीसगढ़ और अपराध में उसका साथ देने वाली सह-आरोपिया रेशमा नायक पति गोपाल नायक, निवासी नौआई, बुढ़ार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

न्यायालय की आंख में धूल झोंक रहे 3 फरार आरोपी दबोचे

शहडोल। कानून से भाग रहे अपराधियों और न्यायालय के आदेशों को ठेगा दिखाने वाले वारंटियों के खिलाफ गोहपारू पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर लंबे समय से फरार चल रहे दो वसूली वारंटियों और एक गिरफ्तारी वारंटी को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है। माननीय कुटुंब न्यायालय शहडोल द्वारा जारी वसूली वारंट के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर रेशन प्रसाद वर्मन निवासी बरली और तीरथ प्रसाद गुप्ता निवासी खन्नीधी को गिरफ्तार किया। वहीं, माननीय जेएमएफसी शहडोल के न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट के मामले में लंबे समय से पेशी से गायब चल रहे शक्ति वीरेन्द्र सेन निवासी खन्नीधी को भी पुलिस ने दबोच लिया।

कथित नेटवर्क, बेनामी संपत्तियों और प्रभावशाली सिंडिकेट को लेकर सवाल ट्रांसपोर्टरों में असंतोष, स्थानीय कारोबारियों की बड़ी चिंता

रामपुर मेगा प्रोजेक्ट में बढ़ते प्रभाव और संपत्तियों की चर्चाएं, उच्च स्तरीय जांच की उठी मांग

शहडोल। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) के सोहागपुर एरिया स्थित रामपुर मेगा प्रोजेक्ट में इन दिनों एक कथित प्रभावशाली नेटवर्क और बढ़ते आर्थिक प्रभाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। स्थानीय ट्रांसपोर्टरों, कारोबारियों और क्षेत्रीय लोगों के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर कुछ वर्षों में सीमित पद पर कार्यरत लोगों के प्रभाव और संपत्तियों में हुई कथित वृद्धि की वास्तविकता क्या है। क्षेत्र में यह मांग भी उठने लगी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर यह स्पष्ट किया जाए कि चर्चाओं और आरोपों में कितनी सच्चाई है।

ट्रांसपोर्टरों में बढ़ रहा असंतोष

रामपुर मेगा प्रोजेक्ट से जुड़े कई ट्रांसपोर्टरों के बीच यह चर्चा है कि धीरे-धीरे कामकाज कुछ चुनिंदा प्रभावशाली लोगों के इर्द-गिर्द सिमटता जा रहा है। छोटे और स्वतंत्र ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि प्रतिस्पर्धा का माहौल कमजोर हुआ है और सामान्य व्यवसायियों के लिए अवसर सीमित होते जा रहे हैं। हालांकि अधिकांश लोग खुलकर सामने नहीं आना चाहते, लेकिन अंदरखाने असंतोष लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि परिवहन व्यवस्था और कार्य आवंटन प्रणाली की स्वतंत्र जांच होने से स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

कारोबारी नेटवर्क और बढ़ते प्रभाव की चर्चा

स्थानीय स्तर पर तकनीकी निरीक्षक जितेंद्र पांडे को लेकर भी विभिन्न प्रकार की चर्चाएं सामने आ रही हैं। सूत्रों का दावा है कि उनका प्रभाव केवल प्रशासनिक दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्ट, कोयला कारोबार और विभिन्न फर्मों तक

फैला हुआ बताया जा रहा है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार उठ रहे सवालों के बीच लोग यह मांग कर रहे हैं कि संबंधित फर्मों, कारोबारी संबंधों और वित्तीय गतिविधियों की जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए।

बेनामी और अनुपातहीन संपत्तियों पर उठ रहे सवाल

क्षेत्र में सबसे ज्यादा चर्चा कथित बेनामी और अनुपातहीन संपत्तियों को लेकर हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी कर्मचारी या उससे जुड़े लोगों की संपत्तियों में असामान्य वृद्धि हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। चर्चा यह भी है कि विभिन्न स्थानों पर निवेश, संपत्ति और कारोबारी हिस्सेदारी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोगों का मानना है कि आय के ज्ञात स्रोतों और संपत्तियों का मिलान कराए जाने से स्थिति स्पष्ट हो सकती है तथा सभी संदेह स्वतः समाप्त हो जाएंगे।

असामाजिक तत्वों को संरक्षण मिलने की चर्चाएं

रामपुर मेगा प्रोजेक्ट के आसपास यह चर्चा भी लगातार सुनाई दे रही है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि ऐसे माहौल से सामान्य व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं और भय का वातावरण बनता है। हालांकि इन आरोपों की किसी एजेंसी द्वारा



पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन लगातार उठ रही शिकायतों और चर्चाओं के कारण लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि यदि जांच हो तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

केंद्र की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल

केंद्र सरकार भ्रष्टाचार, काले धन और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती रही है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में इस तरह की चर्चाओं का सामने आना स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का कहना है कि यदि आरोप निराधार हैं तो जांच से संबंधित व्यक्तियों की छवि साफ होगी और यदि आरोपों में तथ्य हैं तो



जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होगा।

ईओडब्ल्यू, सीवीसी और केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग

स्थानीय ट्रांसपोर्टरों, कारोबारियों और सामाजिक संगठनों के बीच अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), सतर्कता विभाग तथा अन्य सक्षम केंद्रीय एजेंसियों से



कराई जाए। लोगों का कहना है कि रामपुर मेगा प्रोजेक्ट केवल एक खदान नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का आधार है। इसलिए परियोजना की विश्वसनीयता बनाए रखने और उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है। जांच होने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्षेत्र में चल रही चर्चाओं और आरोपों के पीछे वास्तविकता क्या है तथा कहीं कोई सिंडिकेट या आर्थिक अनियमितता तो काम नहीं कर रही।

24 घंटे में मिला जमीन का पट्टा, एक वर्ष पुरानी समस्या का हुआ समाधान

कमिश्नर की संवेदनशील पहल से आवेदिका को मिली बड़ी राहत जनसुनवाई डैश बोर्ड बना त्वरित निराकरण का प्रभावी माध्यम

शहडोल। संभाग आयुक्त श्रीमती सुरभि गुप्ता की संवेदनशीलता और त्वरित कार्यशैली के चलते एक वर्ष से लंबित भूमि संबंधी समस्या का समाधान मात्र 24 घंटे में हो गया। तहसील जयसिंहनगर के ग्राम रेउसा निवासी श्रीमती सरोज पाल पति रामेश्वर पाल, मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुंचीं। उन्हें उम्मीद थी कि लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान मिलेगा। जनसुनवाई में श्रीमती सरोज पाल ने बताया कि उन्होंने फरवरी 2025 में भूमि क्रय की थी, लेकिन भूमि से संबंधित अभिलेख और पट्टा उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका नामांतरण एवं रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हो पा रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए वे पिछले एक वर्ष से विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगा रही थीं। आयुक्त श्रीमती सुरभि गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश अपने कार्यालय के संभागीय सलाहकार आर.सी.एम.एस. उपेंद्र त्रिपाठी को दिए। जांच के दौरान पाया गया कि आवेदिका के पास भूमि संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।



इसके बाद रजिस्ट्री नंबर प्राप्त कर संबंधित अभिलेखों की जांच की गई तथा आवेदिका के नामांतरण आदेश को खोजकर उसके आधार पर भू-अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज कराई गईं। कार्रवाई के दौरान जयसिंहनगर तहसीलदार श्रीमती सुष्मा धुर्वें एवं संभागीय सलाहकार श्री उपेंद्र त्रिपाठी ने समन्वय स्थापित करते हुए प्रक्रिया पूरी कराई। परिणामस्वरूप मात्र 24 घंटे के भीतर पटवारी द्वारा आवेदिका के घर पहुंचकर नामांतरण आदेश एवं खसरे की प्रतिलिपि सौंप दी गई। अपनी समस्या के त्वरित समाधान पर श्रीमती सरोज पाल ने आयुक्त श्रीमती सुरभि गुप्ता एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

जनसुनवाई डैशबोर्ड बना प्रभावी निगरानी तंत्र

जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं परिणाममुखी बनाने के लिए आयुक्त कार्यालय में विशेष जनसुनवाई डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इस डैशबोर्ड में प्रत्येक मंगलवार को प्राप्त आवेदनों का डिजिटल पंजीयन किया जाता है तथा उनके निराकरण की सतत मॉनिटरिंग की जाती है। शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है और अधिकारी की गई कार्रवाई की जानकारी भी इसी डैशबोर्ड पर अपडेट करते हैं, जिसकी नियमित समीक्षा स्वयं आयुक्त द्वारा की जाती है। इसके अलावा नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए एक डिजिटल क्यूआर कोड प्रणाली भी विकसित की गई है, जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें एवं समस्याएं सीधे दर्ज करा सकते हैं। इस व्यवस्था से शिकायतों के समयबद्ध निराकरण में तेजी आई है तथा प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद और अधिक सशक्त हुआ है। इस प्रकरण ने एक बार फिर साबित किया है कि प्रशासनिक संवेदनशीलता, तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था और त्वरित कार्रवाई से आम नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव है।

सूरत से अपहृत नाबालिग को किया दस्तयाब

परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

शहडोल। जिले की जैतपुर पुलिस ने तत्परता और मुस्तैदी का परिचय देते हुए सूरत (गुजरात) से एक अपहृत नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से जहाँ एक मासूम सुरक्षित अपने घर लौट आई है, वहीं क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर सराहना हो रही है।

घर से लापता हुई थी 16 वर्षीय मासूम

मामला थाना जैतपुर के अंतर्गत चौकी दर्शिला क्षेत्र का है, जहां एक फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी

16 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई। काफी खोजबीन और रिशतेदारों के यहाँ तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का अंदेशा हुआ। पुलिस ने तत्काल मुस्तैदी दिखाते हुए अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

सूरत में दी दबिश, घेराबंदी कर छुड़ाया

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने सायबर सेल और मुखबिरों तंत्र को सक्रिय किया। सुराग मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल गुजरात के सूरत (थाना पुना

क्षेत्र) में दबिश दी और घेराबंदी कर नाबालिग बालिका को सकुशल एवं सुरक्षित दस्तयाब कर लिया। थाने लाकर सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मासूम को उसके रोते-बिलखते परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जिससे परिवार में छाई मासूसी खुशियों में बदल गई।

सराहनीय भूमिका

इस पूरी सफल कार्रवाई में जैतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश नारायण शर्मा के कुशल निर्देशन में दर्शिला चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक मोहन पड़वार, प्रधान आरक्षक ईश्वर प्रसाद और आरक्षक अजय प्रजापति की भूमिका रही।

वन संरक्षण में जनजातीय समुदाय का अहम योगदान: कमिश्नर



शहडोल। कमिश्नर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आयोजित संगमन स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कमिश्नर ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि वन के संरक्षण में जनजातीय समुदाय के लोगों और वनवासियों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 यह कानून वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार, लघु वनोपज पर अधिकार जैसे अन्य महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनका अधिकार देना हम सब का दायित्व है जिससे वे सशक्त और जागरूक हो सकें। कार्यशाला को सी.सी. एफ. वनवृत्त शहडोल श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में वन अधिकार अधिनियम के विशेषज्ञ डॉ. शरद चंद्र लेले ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदत्त अधिकारों के बारे में भी विस्तृत जानकारी से अवगत करवाया एवं उपस्थित अधिकारियों ने अपने अपने प्रश्न भी पूछे जिसका जवाब विशेषज्ञ द्वारा दिया गया।कलेक्टर शहडोल डॉ।केदार सिंह, कलेक्टर अमरपुर श्री हर्षल पंचोली, कलेक्टर उमरिया श्रीमती राखी सहाय, तीनों जिलों के डीएफओ, उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री जेपी यादव, तीनों जिलों के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, संगमन के समस्त एसडीएम, तथा अनुविभागीय अधिकारी वन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।

यातायात पुलिस की अनूटी पहल, 154 वाहनों में मौके पर लगवाई गई नंबर प्लेट

शहडोल। सड़क सुरक्षा और

यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शहडोल यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट के संचालित हो रहे 154 दोपहिया वाहनों को रोककर चालानी कार्रवाई करने के बजाय वाहन चालकों को मौके पर ही नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश दिए गए।

यातायात प्रभारी ने अपने दलबल के साथ नियमित जांच अभियान के दौरान ऐसे वाहनों की पहचान की, जिनमें नंबर प्लेट नहीं लगी थी। वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देते हुए तत्काल नंबर प्लेट लगवाने की व्यवस्था कराई गई, जिससे सभी 154 वाहनों में मौके पर ही नंबर प्लेट लगाई गई।



यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को चेतावनी दी कि भविष्य में बिना नंबर प्लेट वाहन चलाते पाए जाने अथवा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि वाहन की पहचान और सड़क सुरक्षा के लिए नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है। पहले समझाइश, फिर कार्रवाई की सोच

के साथ चलाया गया यह अभियान लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के जन-जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

शहडोल नगर में चल रहे सीवरेज लाइन कार्य की कलेक्टर ने की समीक्षा

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने शहडोल नगर में चल रहे सीवरेज लाइन निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा के पूर्व काम पूरा करें। उन्होंने कहा कि सकरे मार्गों में वर्षा के पूर्व प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाए। कार्य की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने निर्माण कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा के दौरान मैनुअली कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में सीईओ जिला पंचायत शिवम प्रजापति, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, श्रीमती मिनीषा पाण्डेय, प्रभारी एसडीएम सोहागपुर सुश्री अर्चना मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बावड़ी उत्सव के माध्यम से जल संरक्षण का दिया संदेश, ग्रामीणों ने लिया संकल्प



शहडोल। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के तृतीय चरण के अंतर्गत विकासखंड गोहपारू के सेक्टर क्रमांक-03 चुहरी अंतर्गत ग्राम विकास प्रस्कटन समिति महुआटोला में बावड़ी उत्सव पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा जल संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम में जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक भीम सिंह डामोर, जिला समन्वयक शहडोल विवेक पांडेय तथा विकासखंड समन्वयक श्री आलोक संधिया ने सहभागिता करते हुए जल गोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को बावड़ियों, कुओं एवं अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के महत्व की जानकारी देते हुए जल संकट से निपटने में इनके योगदान पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि जल संरक्षण केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। यदि जल स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकता है। कार्यक्रम में नवांकुर संस्था आदर्श ग्राम जन सेवा समिति के अशोक अहिरवार, मेरेंस मुकेश पाठक एवं सुश्री सची तिवारी, ग्रामवासी तथा समाजकार्य स्नातक के विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनसमुदाय ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया।



जबलपुर, शुक्रवार 12 जून 2026
harihbhoomi.com

खबर संक्षेप

ईडीएम गोदाम का त्रैमासिक निरीक्षण आज

उमरिया। कलेक्टर एवं जिला निवांचन अधिकारी श्रीमती राखी सहाय राजनैतिक दलों के साथ 12 जून को प्रातः 11 बजे निरीक्षण करेगी । उन्होंने समस्त मायता प्राप्त राजनैतिक दलों से समय पर उपस्थिति पर अपेक्षा की है ।

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आज

उमरिया। नगरीय निकायों, पंचायतो की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 की तैयारी हेतु प्रक्रिया एवं मतदाता सूची तैयार करने का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। जारी कार्यक्रम अनुसार 15 जून तक दावा आपति केन्द्रों पर दाव आपति प्राप्त करने के निदेश दिए गए हैं । जिसके संबंध में 12 जून को प्रातः 11.30 बजे कलेक्टर समानगर मे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में सर्व संबंधितो से उपस्थिति की अपेक्षा की गई है।

बाघ हमले में मृत महिला के परिजनों को 25 लाख की सहायता राशि

उमरिया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र अंतर्गत घाम खेरवा में 24 मई की हुई दुःखद बाघ हमले की घटना में मृत महिला फूल बाई पति पहलू पाल के परिजनों को कुल 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संवेदनशीलता एवं तत्परता के चलते मुख्यमंत्री स्टेचनबुद्धन मद से 17 लाख रुपये तथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व द्वारा 8 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत कर परिजनों को उपलब्ध कराई गई है। उल्लेखनीय है कि 24 मई को घाम खेरवा में बाघ ने घर में घुसकर फूल बाई पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इस घटना में परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए थे। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक एवं चिंता का माहौल व्याप्त हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एवं वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किए।

कलेक्टर उमरिया ने स्वयं मामले की सतत निगरानी करते हुए पंडित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशासन द्वारा घायलों के उपचार, सुरक्षा व्यवस्था तथा आवश्यक राहत उपायों को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया गया।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना को गंभीरता से लेते हुए पंडित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की तथा तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। उनकी मानवीय संवेदनशीलता के परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री स्टेचनबुद्धन मद से 17 लाख रुपये की विशेष सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व द्वारा निगमनुसार 8 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। जिला प्रशासन ने कहा है कि वन्यजीव एवं मानव संघर्ष की घटनाओं को रोकने तथा प्रमावित परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए शासन एवं प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा क्षेत्र में सतत निगरानी रखी जा रही है तथा ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। पंडित परिवार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, जिला प्रशासन एवं वन विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में शासन-प्रशासन ने संवेदनशीलता के साथ उनका साथ दिया है।फोटो 04

मालूमदा के प्रशांत कुमार ने रचा इतिहास

मालूमदा। मालूमदा निवासी प्रशांत कुमार शाह ने मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) द्वारा आयोजित फार्मासिस्ट गेड-2 अर्ती परीक्षा 2026 में शानदार सफलता हासिल करते हुए

प्रदेशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रशांत ने 100 परसेंटडिग्ल अंक अर्जित कर मेरिट सूची में पहला स्थान हासिल किया, जिससे पूरे अनूपपुर जिले और कोलमा क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। प्रशांत कुमार, एसईसीएल कर्मी प्रभु कुमार शाह के पुत्र हैं। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों और क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है। परिणाम घोषित होने के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्राप्त मेरिट सूची के अनुसार प्रशांत कुमार का चयन संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, इंदौर के अंतर्गत फार्मासिस्ट गेड-2 पद के लिए हुआ है। उन्होंने कहने का प्रसंगों के बीच 100 परसेंटडिग्ल प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्रशांत की सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए क्षेत्र के लोगों ने कहा कि मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। परिवार ने उनकी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों और निरंतर परिश्रम को दिया है। क्षेत्रवासियों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए इसे पूरे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है।

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

हरिभूमि

खबर संक्षेप

असंगठित श्रमिक 13 जून तक कराए ई-केवाईसी

कटनी। नगर पालिक निगम कटनी द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण (सबल) योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया को समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में निगम प्रशासन द्वारा समस्त वार्ड दरोगाओं एवं प्रभारी वार्ड दरोगाओं को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त (वित्त) द्वारा जारी पत्र के अनुसार, श्रम विभाग एवं मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल के निर्देशानुसार 13 जून 2026 तक सभी पात्र श्रमिकों की ई-केवाईसी सुनिश्चित की जानी है। निर्धारित अवधि के पश्चात जिन श्रमिकों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगी, उनके पंजीयन को नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है। निगम प्रशासन ने वार्ड स्तर पर कार्यरत अमले को निर्देशित किया है कि वे संबंधित श्रमिकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु प्रेरित करें तथा अभियान की प्रगति पर सतत निगरानी रखें। इसके लिए शेष पात्र श्रमिकों की सूची भी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है। नगर निगम ने सभी पंजीकृत असंगठित श्रमिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराकर सबल योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का लाभ प्राप्त करें।

डाकघर आधार महा अभियान 12 जून को कटनी। आधार सेवाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से जिले के डाकघरों में 11 एवं 12 जून को विशेष र्डाकघर आधार महाअभियानर चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नवीन आधार पंजीयन, आधार कार्ड में सुधार, बायोमेट्रिक अपडेट तथा आधार डेटा में मोबाइल एवं ईमेल लिंक कराने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अभियान के लिए 10 जून को टोकन वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा इच्छुक नागरिक ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। टोकन प्राप्त करने हेतु 7587598077 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। अभियान के दौरान सभी आधार सेवा केंद्र प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक कार्य करेंगे, जबकि प्रधान डाकघरों में संचालित आधार केंद्रों का समय प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक रहेगा। जिले में स्थित प्रमुख आधार सेवा केंद्रों में बाकल, बरही, कटनी सीमेंट फैक्ट्री, कटनी प्रधान डाकघर, कटनी HO2, माधव नगर, कैमोर, निवार, रीठी, सरेली मझगांव, सिवरीरा एमडीजी, स्लीमनाबाद, उमरियापान तथा विजयराघवगढ़ डाकघर शामिल हैं। डाक विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने निकटतम डाकघर आधार केंद्र पर पहुंचकर इस विशेष अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

16 जून से 15 अगस्त तक जिले में मत्स्य आखेट प्रतिबंधित

कटनी। जिले के सभी प्रकार के जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्य आखेट पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी किया है। वर्षा ऋतु में मत्स्य के वंशवृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने के लिये मध्यप्रदेश नदी मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3(2) के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय एवं मत्स्य परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे न तो स्वयं इन गतिविधियों में शामिल हों और न ही इस कार्य में सहयोग करें। हालांकि छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है को उनमें यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इन नियमों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रुपये अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।

अतिक्रमण पर चला पीला पंजा: नपा और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से मुख्य मार्ग हुए जाम मुक्त



बुढ़ार।

नगर की सबसे बड़ी समस्या बन चुके अतिक्रमण और उसके कारण कोतमा रोड़ पर रोज लगाने वाले ट्रैफिक जाम से आखिरकार नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।

नगर के अतिव्यस्त क्षेत्रों में लंबे समय से निजी मोबाइल, इलेक्ट्रिक, कपड़े, एवं मेडिकल स्टोर के व्यापारियों ने पैर पसारे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से एक बड़ी और



सख्त मुहिम चलाई, जिससे सकरे हो चुके रास्तों को मुक्त करा लिया गया है।

इन प्रमुख मार्गों से हटा अवैध कब्जा

प्रशासन की टीम पूरे लाम-लश्कर के साथ सड़क पर उतरी। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर और जेसीबी मशीनों एवं नगर परिषद के सफाई कामगार की मदद से सड़कों के दोनों ओर व्यापारियों द्वारा किए गए पक्के व कच्चे अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के दायरे में मुख्य रूप से ये मार्ग शामिल रहे:रेलवे ओवर ब्रिज मार्ग,बस स्टैंड क्षेत्र,कोतमा रोड,नगर का मुख्य मार्ग (मेन रोड) में ज्यादातर व्यापारी अपने दुकानों के सामग्री को सड़क में रखकर मार्ग को अवरूद्ध कर रहे थे।

मौके पर डटे रहे जिम्मेदार अधिकारी

सड़क को जाम मुक्त कराने की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्षता से काम करने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे। नगर निरीक्षक विनय सिंह गहरवार और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सोरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने बिना किसी दबाव के इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ में सहयोगी पुलिस एवं नगर परिषद की टीम मौके पर डटे रहे।

प्रशासन की चेतावनी:अतिक्रमण मुहिम के बाद पुलिस एवं नगरीय प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि दुकानदारों या अन्य व्यवसायियों द्वारा दोबारा सड़कों पर सामान

फैलाया गया या अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई, तो न सिर्फ सामान जब्त किया जाएगा बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

इस कार्रवाई से स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इन व्यस्त मार्गों पर अतिक्रमण के चलते पैदल चलना भी दूभर हो गया था और कोतमा रोड़ पर प्रतिदिन वाहनों की धमाचौकड़ी से राहगीरों को जाम में फंसे रहने से निजात मिलेगी। यदि इस पर नियमित ध्यान नहीं दिया गया तो पहले जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है।फूट पाती सब्जी विक्रेता जो रेल्वे स्टेशन जाने वाले मार्ग पर सुबह-शाम सड़क पर दुकान सजाकर व्यापार करते हैं उन्हें व्यावसायिक स्थल पर भेजने का नगर परिषद प्रयास करें तभी यह मिशन कामयाब होगा।

बुढ़ार पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नाबालिग से दुष्कर्म का मुख्य आरोपी और सहयोगी महिला गिरफ्तार

बुढ़ार।

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की बुढ़ार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी सहित एक महिला सहयोगी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

क्या है पूरा मामला ?

नगर निरीक्षक विनय सिंह गहरवार ने बताया कि मामला अप्रैल महीने का है। पिछले 13 अप्रैल 2026 को फरियादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बुढ़ार पुलिस ने तत्काल अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।



नाबालिग की सुरक्षित बरामदगी और बयानों में खुलासा

पुलिस ने मामले में सक्रियता दिखाते हुए पूर्व में ही नाबालिग बालिका को सकुशल व सुरक्षित बरामद (दस्तयाब) कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। दस्तयाबी के बाद जब पीड़िता के बयान दर्ज किए गए, तो उसने चौंकाने वाली बातें सामने आईं पीड़िता ने बताया कि राहुल नायक नाम का युवक उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था



और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था।पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को बढ़ाते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के अतिरिक्त धारा 86, 87, 124(2)(4), 64(एम) और 3(5) का इजाफा किया।

छत्तीसगढ़ और शहडोल से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी

थाना प्रभारी के नेतृत्व में

पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 09 जून 2026 को मुख्य आरोपी और उसकी सहयोगी महिला को धरदबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राहुल नायक (पिता: लखन नायक), निवासी: ग्राम तेन्दुआ ओवर ब्रिज, थाना उरला, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) – मुख्य आरोपी,रेशमा नायक (पति: गोपाल नायक), निवासी: नायक मोहल्ला, ग्राम नौगई, थाना बुढ़ार, जिला शहडोल सह-आरोपी,को गिरफ्तार किया।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका,इस अपहरण और दुष्कर्म जैसे संवेदनशील मामले का त्वरित खुलासा करने में बुढ़ार थाना प्रभारी निरीक्षक विनय सिंह गहरवार के नेतृत्व में उपनिरीक्षक (उ.नि.) गोविन्द भगत, महिला प्रधान आरक्षक (म.प्र.आर.) सरिता सिंह, आरक्षक अमर बागरी एवं आरक्षक महेन्द्र की सराहनीय और सक्रिय भूमिका रही।

मोहर्रम और लंगर के लिए अधिवक्ता विश्वेश पटेल ने दी अपनी भूमि, 13 वर्षों से दे रहे निरंतर सहयोग

बुढ़ार।

आधुनिक समाज में जहां कभी-कभी दूरियां देखने को मिलती हैं, वहीं मध्य प्रदेश के बुढ़ार से सांप्रदायिक सौहार्द, हिंदू-मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। क्षेत्र के समाजसेवी एवं अधिवक्ता विश्वेश पटेल पिछले 13 वर्षों से मोहर्रम के अवसर पर आयोजित होने वाली ताजियादारी एवं आम लंगर कार्यक्रम में अपना निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं बुढ़ार के प्रथम विधायक स्व श्री सरस्वती प्रसाद पटेल के पौत्र, अधिवक्ता विश्वेश पटेल ने इस वर्ष भी अपनी कौमी एकता की परंपरा को जीवित रखा है। उन्होंने हुसैनी ताजियादारी कमेटी के विशेष अनुरोध पर वार्ड क्रमांक 11 में चंद्र भाई के घर के सामने स्थित अपनी निजी भूमि को मोहर्रम के आयोजन के लिए सहर्ष सौंप दिया है।

16 से 27 जून तक सजेगे ताजिए, सर्वधर्म लंगर का होगा आयोजन

यह भूमि आगामी 16 जून 2026 से 27 जून 2026 तक मोहर्रम की



ताजियादारी और आम लंगर कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए उपयोग की जाएगी। भूमि उपलब्ध कराने के साथ-साथ विश्वेश पटेल ने कार्यक्रम को सुचारु और सफल बनाने के लिए हर वर्ष की तरह इस बार भी अपनी ओर से आर्थिक सहयोग प्रदान किया है।

कमेटी ने बताया आमार, कहा- ‘यही है असली ईंसानियत’

हुसैनी ताजियादारी कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि कमेटी के सचिव नसीर राजा एवं शमशेर (बट्ट) भाई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए

बारिश में नल जल योजना के कार्य को बंद करने का दिये आदेश, ग्रामीणों में आक्रोश

हरिभूमि न्यूज सिलौड़ी

सिलौड़ी में जल जीवन मिशन का कार्य शुरू है गांव की गलियों में खुदाई कर पाइप लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है । टंकी निर्माण कार्य के

साथ सम्प वेल का कार्य भी चालू है साथ में बहुत तेजी से पाइप लाइन बिछाने का कार्य भी चल रहा है । लोगों में खुशी है कि जल्दी ही घर घर जल पहुंच जा जाएगा। ऐसी स्थिति में विभाग ने ठेकेदार को कार्य बंद करने का आदेश दिया है , जिससे

ग्राम वासियों में असंतोष व्याप्त है। सिलौड़ी सरपंच पंचों बाई संतोस बर्मन का कहना है की ठेकेदार के द्वारा बहुत तेजी से सभी साइड में कार्य किया जा रहा है सभी कार्य उच्च गुड वत्ता के साथ किये जा रहा है।

ग्राम वासियों में असंतोष व्याप्त है। सिलौड़ी सरपंच पंचों बाई संतोस बर्मन का कहना है की ठेकेदार के द्वारा बहुत तेजी से सभी साइड में कार्य किया जा रहा है सभी कार्य उच्च गुड वत्ता के साथ किये जा रहा है।

ग्राम वासियों में असंतोष व्याप्त है। सिलौड़ी सरपंच पंचों बाई संतोस बर्मन का कहना है की ठेकेदार के द्वारा बहुत तेजी से सभी साइड में कार्य किया जा रहा है सभी कार्य उच्च गुड वत्ता के साथ किये जा रहा है।



जोर दिया कांग्रेस की अध्यक्षता एवं संचालन कर रहे जिला सेवादल अध्यक्ष डॉक्टर एहसान अली अंसारी द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया सभा को प्रदेश महिला सचिव संध्या वर्मा, श्रीमती आशा वर्मा, यंग ब्रिगेड जिला अध्यक्ष मोहम्मद सफ़ीर, आशिष त्रिपाठी, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मानवेंद्र मिश्रा, रजन राठौर, संतोष राठौर, प्रदीप मिश्रा मीडिया प्रभारी, रविंद्र सुखाड़िया, बूजलाता मिश्रा, दीपिका साहू ने संबोधित किया वहीं युवाओं ने कांग्रेस सेवादल की सदस्यता ग्रहण की जिसमें बरगवां अमलाई नगर परिषद से अनिकेत मिश्रा, आयुष गुप्ता, आयुष मिश्रा, शिवांश मिश्रा, चंद्रकांत गुप्ता,

प्रेमलाल केवट सहित प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण किया वहीं जिले के कोने-कोने से महिला एवं सेवादल प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शिरकत किया जिसमें प्रेमवती पासी, रुक्मणी कोल, डॉ रवि प्रकाश राठौर, टीकम दास जाटव, देववती राठौर, द्रोपती राठौर, ज्योति राठौर, जयमतिरा राठौर, मीडिया आईटी सेल नीलू सिंह, अजय सिंह, श्रीमती फूलमती वानखेड़े, सुखवरिया केवट, सुनीता निषाद, मोना वर्मा, मोहम्मद इफ्कान, रानू पासी, सहेंद्र बसोर पार्शद कोतमा आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम एवं सामान्य राष्ट्रगान से हुआ।

ख़बर संक्षेप

थाना प्रभारी के घर के सामने से लाखों की केबल चोरी, पुलिस व्यवस्था पर उठे सवाल

अनूपपुर। जिले के भालुमाड़ा थाना क्षेत्र में अपराधों के बढ़ते ग्राफ ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला 10 जून की रात्रि का है, जब अज्ञात चोरों ने थाना प्रभारी के निवास के सामने स्थित एसईसीएल के बैंकिंग विहार गेस्ट हाउस परिसर से लाखों रुपये मूल्य की लगभग 35 से 40 मीटर मोटी विद्युत केबल काटकर पार कर दी। हैरत की बात यह है कि जिस स्थान पर चोरी हुई, वहां थाना प्रभारी का निजी वाहन नियमित रूप से खड़ा रहता है, इसके बावजूद चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने में सफल रहे। चोरी की इस घटना के कारण कई घंटों तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही, जिससे एसईसीएल बैंकिंग विहार में आयोजित बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पील खोलते हुए यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब थाना प्रभारी के निवास के सामने ही चोरी हो सकती है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा कितनी सुरक्षित है। क्षेत्रीय नागरिकों का आरोप है कि भालुमाड़ा थाना क्षेत्र में जुआ, सट्टा, कबाड़, चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में नाकाम साबित हो रही है। लोगों का कहना है कि अपराधियों में पुलिस का भय समाप्त होता जा रहा है, जिसके चलते उनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि फरियादियों की शिकायतों पर समक पर कार्रवाई नहीं होती और कई मामलों में पीड़ितों को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। नागरिकों का कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता का लाभ उठाकर अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की है। साथ ही पुलिस व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करने की आवश्यकता भी जताई जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब थाना प्रभारी के घर के सामने से लाखों रुपये की केबल चोरी हो सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा।

भगवान जगन्नाथ रथयात्रा महोत्सव की तैयारियों को लेकर 14 जून को बैठक

अनूपपुर। भगवान श्री जगन्नाथ जी की विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा महोत्सव के आयोजन को लेकर अनूपपुर में तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। गत वर्ष की भव्य सफलता के पश्चात इस वर्ष भी इस्कॉन अनूपपुर द्वारा समस्त भगवद्भक्तों, श्रद्धालुओं एवं नगरवासियों के सहयोग से 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी की भव्य रथयात्रा का आयोजन किया जाएगा। रथयात्रा महोत्सव की तैयारियों, विभिन्न सेवाओं के समन्वय एवं कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से 14 जून (रविवार) को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक इस्कॉन अनूपपुर केंद्र में एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। आयोजन समिति एवं इस्कॉन अनूपपुर के प्रतिनिधियों ने नगर के सभी भक्तों, समाजसेवियों, शुभचिंतकों तथा रथयात्रा महोत्सव से जुड़े सेवकों से बैठक में उपस्थित होकर अपने सुझाव एवं सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है। समिति का मानना है कि जनसहभागिता और सामूहिक प्रयासों ही रथयात्रा महोत्सव को अधिक भव्य, सुव्यवस्थित एवं सफल बनाया जा सकता है।

ग्राम सभा के फैसले पर विभाग ने फेरा पानी

रानी सागर बांध लीज विवाद पर 500 ग्रामीणों का हंगामा

अनूपपुर। जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत मुंडा में रानी सागर बांध की लीज को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्राम सभा के प्रस्ताव की अनदेखी से नाराज लगभग 500 ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय में ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर रानी सागर बांध को तीपन मछुआ समिति को मत्स्य पालन हेतु लीज पर दिए जाने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन संबंधित विभाग ने ग्राम सभा के निर्णय को नजरअंदाज करते हुए बांध की लीज सिंह वाहिनी समिति को प्रदान कर दी है। इस निर्णय के विरोध में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और तीपन मछुआ समिति के सदस्यों ने पंचायत कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और कार्यालय में ताला लगा दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम सभा सर्वोच्च इकाई मानी जाती है और उसके प्रस्तावों का सम्मान किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि स्थानीय जनता की राय को दरकिनार कर लिया गया, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सिंह वाहिनी समिति को जारी किया गया पट्टा तत्काल निरस्त किया जाए और रानी सागर बांध का आवंटन ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुरूप किया जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक विवादित पट्टा निरस्त नहीं किया जाता और ग्राम सभा के निर्णय का सम्मान नहीं किया जाता, तब तक पंचायत कार्यालय में लगाया गया ताला नहीं खोला जाएगा। साथ ही उन्होंने आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी भी दी है। अब पूरे मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरे टिकी हुई हैं।



अमरकंटक में फूटा जनाक्रोश, सड़क पर उतरे पीड़ित परिवार

गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर, बड़े कब्जों पर खामोशी?

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

अमरकंटक में नगर परिषद की अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही अब गरीब बनाम व्यवस्था की बहस में बदलती दिखाई दे रही है। वार्ड क्रमांक 14 में कच्चे मकानों, झोपड़ियों और बाड़ियों पर चली जेसीबी के बाद पीड़ित परिवार सड़क पर उतर आए रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए गए, जबकि नगर में वर्षों से खड़े बड़े निर्माणों और कथित अवैध कब्जों पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ती है। यही सवाल अब जनाक्रोश का कारण बन गया है।



हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिले के अमरकंटक में हुई बुलडोजर कार्यवाही का विरोध अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जिन परिवारों के कच्चे मकान और झोपड़ियां तोड़ी गईं, उनके समर्थन में स्थानीय लोग भी खुलकर सामने आने लगे हैं। दूसरे दिन लगभग 35 लोगों ने नर्मदा मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया हालांकि पानी हवा से प्रदर्शन समाप्त हो गया लेकिन पीछे छोड़ गया कई बड़े सवाल। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कार्यवाही से पहले न तो कोई प्रभावी सूचना दी गई और न ही प्रभावित परिवारों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिला है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि नगर में कथित रूप से कई बड़े होटल, आश्रम,

रेस्टोरेंट और व्यावसायिक निर्माण मौजूद हैं, लेकिन कार्यवाही केवल गरीबों की बस्तियों तक सीमित दिखाई देती है। यही कारण है कि मामला अब केवल अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता, समानता और जवाबदेही का प्रश्न बन गया है। लोगों का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, न कि केवल कमजोर वर्ग के लिए।

गरीबों के दूरे आशियाने

अमरकंटक वार्ड क्रमांक 14 में हुई कार्यवाही के बाद कई परिवारों के सामने छत का संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन झोपड़ियों और कच्चे मकानों को हटाया गया, उनमें रहने वाले परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। कई

लोग मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन ने मानवीय पक्ष को नजरअंदाज करते हुए सीधे बुलडोजर चलाया है। अब प्रभावित परिवार अपने आशियाने वापस नहीं, बल्कि न्याय और समान व्यवहार की मांग कर रहे हैं।

बड़े निर्माणों पर कार्यवाही नहीं?

प्रदर्शनकारियों के आरोपों का केंद्र यही सवाल है कि यदि अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है तो फिर नगर के सभी कथित अवैध निर्माणों पर समान कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि बड़े होटल, आश्रम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और प्रभावशाली लोगों के निर्माण वर्षों से खड़े हैं। यदि वे भी नियमों के दायरे में आते हैं तो

प्रशासन को उन पर भी कार्यवाही करनी चाहिए। इसी कथित असमानता ने लोगों के मन में पक्षपात की आशंका पैदा कर दी है।

बिना सूचना कार्यवाही का आरोप

पीड़ित परिवारों का आरोप है कि कार्यवाही से पहले उन्हें पर्याप्त समय और स्पष्ट सूचना नहीं दी गई रही है कई लोग उस समय अपने घरों पर भी मौजूद नहीं थे और लौटने पर उन्हें टूटी हुई झोपड़ियां और बिखरा सामान मिला है। यदि यह आरोप सही हैं तो यह प्रशासनिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। किसी भी कार्यवाही में प्रभावित पक्ष को सुनने और तैयारी का अवसर देना सुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसी बिंदु को लेकर विरोध लगातार बढ़ रहा है।



इंची टेप से नप गई विवादित जमीन

मीडिया के सवालों पर भड़के तहसीलदार पाटन में राजस्व कार्यवाही पर उठे गंभीर सवाल

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिले के जैतहरी तहसील के ग्राम पाटन में भूमि विवाद के निराकरण को लेकर की गई राजस्व मौका जांच कार्यवाही अब विवादों के केंद्र में आ गई है। आरोप है कि पद प्रभारी तहसीलदार ने विवादित जमीन की नपती ईंची टेप और स्केल के सहारे कर मौके पर पंचनामा तैयार कर दिया है। जबकि मामला न्यायालय और उच्च अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन बताया जा रहा है। मीडिया द्वारा प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछे जाने पर अधिकारी का रवैया भी चर्चा का विषय बन गया है। जिले के जैतहरी तहसील के ग्राम पाटन में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद कई महीनों से चला आ रहा है। दोनों पक्ष राजस्व कार्यालयों से लेकर न्यायालयों तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक पक्ष ने जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर तथा अपर कलेक्टर न्यायालय अनूपपुर का दरवाजा खटखटया है, जबकि दूसरे पक्ष ने जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे पद प्रभारी तहसीलदार ने विवादित भूमि की नपती कर मौका जांच कार्यवाही शुरू की और पंचनामा तैयार कर जबजस्ती गवाही को हस्ताक्षर करके को कहा। यहीं से विवाद खड़ा हो गया, ग्रामीणों और प्रभावित पक्षों का आरोप है कि सीमांकन जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में आवश्यक तकनीकी उपकरणों और राजस्व अभिलेखों का समुचित उपयोग नहीं किया गया है। दूसरी ओर मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर अधिकारी का नाराज होना और स्पष्ट जवाब देने से बचना भी संदेहों को और गहरा कर रहा है। अब यह मामला केवल जमीन विवाद नहीं बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और राजस्व प्रक्रिया की विश्वसनीयता का विषय बन गया है।

सीमांकन की प्रक्रिया पर उठे सवाल

राजस्व नियमों के अनुसार किसी भी विवादित भूमि के सीमांकन में खसरा, नक्शा, फील्ड बुक, स्थायी चिन्ह और विभागीय मापन उपकरणों का उपयोग महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन पाटन में हुई मौका जांच कार्यवाही को लेकर आरोप है कि केवल इंची टेप और स्केल हो गया, ग्रामीणों और प्रभावित पक्षों का आरोप है कि सीमांकन जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में आवश्यक तकनीकी उपकरणों और राजस्व अभिलेखों का समुचित उपयोग नहीं किया गया है। दूसरी ओर मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर अधिकारी का नाराज होना और स्पष्ट जवाब देने से बचना भी संदेहों को और गहरा कर रहा है। अब यह मामला केवल जमीन विवाद नहीं बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और राजस्व प्रक्रिया की विश्वसनीयता का विषय बन गया है।

न्यायालय में विचाराधीन मामले में जल्दबाजी क्यों?

भूमि विवाद से जुड़ा मामला पहले से ही न्यायालय और उच्च राजस्व अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन बताया जा रहा है। ऐसे में मौके पर जाकर सीमांकन जमीन नपित और पंचनामा तैयार करने की प्रक्रिया जैसी

सवाल खड़े हो रहे हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक कार्यवाही में अतिरिक्त सावधानी अपेक्षित होती है। यदि किसी पक्ष को यह महसूस हो कि उसकी बात सुने बिना निर्णयात्मक कार्यवाही की गई है तो इससे विवाद और अधिक जटिल हो सकता है।

मीडिया के सवालों से क्यों असहज हुए अधिकारी?

लोकतंत्र में मीडिया जनता और प्रशासन के बीच जवाबदेही का माध्यम माना जाता है। जब किसी सरकारी कार्यवाही को लेकर सवाल उठते हैं तो संबंधित अधिकारी से पारदर्शी जवाब की अपेक्षा की जाती है। पाटन मामले में मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर पद प्रभारी तहसीलदार के नाराज होने और कथित तौर पर कोर्ट में आने की बात कहने से चर्चा तेज हो गई है। यदि कार्यवाही नियमों के अनुसार हुई थी तो तथ्यों के साथ जवाब देने से विवाद स्वतः समाप्त हो सकता था।

वया राजस्व विभाग के पास हैं स्पष्ट मापदंड?

सीमांकन और भूमि मापन के लिए विभागीय दिशानिर्देश पहले से निर्धारित हैं। आधुनिक समय में कई स्थानों पर जीपीएस, टोटल स्टेशन मशीन और तकनीकी सर्वे पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में यदि किसी संवेदनशील विवाद में पारंपरिक और सीमित साधनों से नपती की जाती है तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि वह स्पष्ट करे कि मौके पर कौन-कौन से अभिलेख और मापन विधियां उपयोग में लाई गईं हैं हम आपको बता दें कि मैके पर सिर्फ नक्शा, नक्शा मापन के लिए एक स्केल और जमीन मापन में लिए इंची टेप और बिना सरकारी चिन्हित पत्थर के सहारे जमीन का माप तय कर दिया गया जो विवाद को और गहरा बनाता है। जिसमें कल को जानमाल का भी खतरा सामने आने की संभावना निर्मित इस मौका जांच से हो सकती हैं।

विधायक ने भी उठाए सवाल

पुष्परामजगढ़ विधानसभा के कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह माको ने इस कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यदि कहीं अवैध कब्जे हैं तो कार्यवाही निष्पक्ष और समान रूप से होनी चाहिए रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक निर्माण होने दिए जाते हैं और बाद में केवल कमजोर वर्गों पर कार्यवाही होती है। विधायक के बयान के बाद यह मामला प्रशासनिक विवाद से निकलकर राजनीतिक चर्चा का विषय भी बन गया है।

जवाब से बचते अधिकारी, अविश्वास

पूरे मामले में जब प्रशासनिक पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो जिम्मेदार अधिकारी खुलकर प्रतिक्रिया देते नजर नहीं आए हैं इससे लोगों के बीच और अधिक सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी केवल कार्यवाही करना नहीं बल्कि उसके पीछे के कारणों और प्रक्रिया को भी स्पष्ट करना है। यदि कार्यवाही नियमों के अनुरूप हुई है तो उसे सार्वजनिक रूप से बताया जाना चाहिए न कि सिर्फ कोरम भरकर अपनी पीठ थपथपाते, पारदर्शिता की कमी ही किसी भी प्रशासनिक निर्णय पर अविश्वास और विवाद को जन्म देती है। अमरकंटक का यह मामला केवल अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तक सीमित नहीं रह गया है। यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या कानून का डंडा सबके लिए बराबर है, या फिर उसकी मार केवल कमजोर और गरीब वर्ग तक ही सीमित रह जाती है। अब लोगों की नजर प्रशासन के अगले कदम और पीड़ित परिवारों को मिलने वाले न्याय पर टिकी हुई है।

आम सूचना

प्रकरण क्रमांक MJC/SUC/10/2026 धारा-372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम- 1925 की इश्वरहार प्रकाशन किये जाने बाबत उपरोक्त विषयांतर्गत उल्लेख है कि माननीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोतमा के समक्ष नानबाई उर्फ सुनीता व अन्य बनाम सूरज सिंह व अन्य के संबंध मे उत्तराधिकार हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है जिससे अनावेदक क्रं.-08 के रूप मे अन्य जनसाधारण जो वाद से संबंधित के लिए इश्वरहार प्रकाशन आवश्यक है जिससे आमजन को सूचना प्राप्त हो और प्रकरण के निराकरण मे न्यायिक कार्यवाही की जा सके तथा उक्त प्रकाशन के बाद प्रकरण मे किसी भी प्रकार से संबंधित जनसाधारण को नही सुना जायेगा तथा समाचार पत्र की एक प्रति समाचार पत्र इस न्यायालय मे तारीख पेशी दिनांक -25/06/2026 के पूर्व भेजे।
(सीन) अरविंद कुमार वारला व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोतमा जिला- अनूपपुर (म.प्र.)